क्रम-सं०–208

रजिरट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 23 अगस्त, 2013

भाद्रपद 1, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 794/79-वि-1–13-2(क)10-2013

लखनऊ, 23 अगस्त, 2013

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2013) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2013)

[भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल को यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

1–यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2002 की धारा 10 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा 10 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात:—

"(3-क)(क) केवल ऐसा व्यक्ति कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है;

(ख) कुलपति अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा";

(ग) उपधारा (6) के पश्चात निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात:—

"(7) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जान-बूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकते हैं।

(8) उपधारा (7) निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जांच के अनुध्यात रहते हुए कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अग्रतर आदेश न दिया जाय—

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा, किन्तु उसे वह उपलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिए वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलपति पद के कार्य का संचालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।"

बी०एल० जोशी,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से
एस०के० पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No. 794(2)/LXXIX-V-1–13-2(ka)-10-2013
Dated Lucknow, August 23, 2013

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Gautam Buddha Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 2013 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 10 of 2013) promulgated by the Governor .

THE UTTAR PRADESH GAUTAM BUDDHA UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 2013

(U.P. ORDINANCE NO. 10 OF 2013)

[*Promulgated by the Governor in the Sixty-fourth Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Gautam Buddha University Act, 2002.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:–

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Gautam Buddha University (Amendment) Ordinance, 2013.

Amendment of section 10 of U.P. Act no. 9 of 2002

2. In section 10 of the Uttar Pradesh Gautam Buddha University Act, 2002,–

(a) in sub-section (1) *for* the words "five years" the words "three years" shall be *substituted;*

(b) *after* sub-section (3) The following sub-section shall be *insered,* namely:–

"(3-a)(a) Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 years;

(b) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date he enters upon his office or till he attains the age of sixty-eight years whichever is earlier";

(c) *after* sub-section (6) the following sub-sections shall be *inserted,* namely:–

(7) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the inerest of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor.

(8) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (7) the Chancellor may order that till further orders–

(a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled.

(b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order."

B.L. JOSHI,
Governor,
Uttar Pradesh .

By order,
S.K.PANDEY,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 349 राजपत्र (हि0)–2013–(716)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 24 सा0 विधा0–2013–(717)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।

349 RPH 2013 Gautambudh Data 2 Vid. 2010